



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

राजस्व वाद सं. 38 / 2008 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट.

अनवान: सुधारी बनाम राहम

23/2018

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
8	<p>राजस्व वाद अधिवक्ता वादी श्री. <u>रामगोपाल शर्मा</u> ने पेश किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए समन सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक <u>17/8/08</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर, डीडवाना </p> <p>8 वकील वादी इपॉ। प्रति सं. 1 की तरफ से वकील श्री तेजपाल राठी ने 1/7 की, प्रति सं. 2 बावजूद इतना के अनुपस्थित है। श्रीमान 500 सा राजस्व कार्य हेतु नागौर पथरि व पत्रावली दिनांक 15/4/08 को पेश है।</p> <p>8 कुलाम इपॉ। वादी अकर अकर नाम है जो किना अकर पत्रावली दिनांक 16/5/08 को पेश को।</p> <p>वकुलाम इपॉ। श्रीमान 10 सा. अकर अकर नाम है पत्रावली दिनांक 7/6/08 को पेश को।</p> <p>वकुलाम इपॉ। श्रीमान 500 सा. अकर अकर नाम है पत्रावली दिनांक 7/7/08 को पेश को।</p> <p>8 कुलाम इपॉ। श्रीमान 500 सा. अकर अकर नाम है पत्रावली दिनांक 18/8/08 को पेश है।</p>	<p>अहकाम जो इस हुक्म को तामिल में जारी हुए</p> <p style="text-align: right;">  P.T. राम राम राजपाल राठौर </p>



1 29/3/23- पत्रावली पेश हुई/ वकूलग उपरी
 साखिल कारदेश की पालन में
 साक्ष्य वही हेतु धरुस-पाए
 जो विषा जाकर पत्रावली दिनांक
 8/5/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 बीडवाणा

15/6/23

कर्मचारीयों के सामूहिक आवकाश पर रहने के
 कारण पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार
 पत्रावली दिनांक 8/8/23 को पेश हो।

8/8/23

8/8/23

पत्रावली पेश हुई।

आवेदनकर्ता की नमूने आदिवाला कारदेश 22 दिनांक 3(1) के
 का पेश हर निपेल विषा वि कारदेश का स्वर्णपत्र है उक्त है
 तथा कारीनी के कारप्रतुकार को रेडरपर नही विषा जय है
 एसाधिर इका उषेट है उक्त है। इका कारकिर्माया जय है
 कारिवाला कारीया स्वीकार करते है वि कारदेश का
 है उसी है व कर्डे L-R नही है।

कारदेश की प्रत्यु प्रकाश डे इतुकार दिनांक 28.3.2023
 का प्रत्यु है उसी है व कारप्रतुकार रेडरपर पेश नही हुए है
 अतः इका कारीनी कारि एषेटमेन्त कारिज विषा जय है।
 निपिय सुनाया जया।

पत्रावली कर्पन करर है इय रेडर कारि उषेटपत्रावली

(X)

उपखण्ड अधिकारी
 बीडवाणा